

14/12/26

पत्रावली वांछित दिनांक-पेताद्वारा 3245-कम 34.7
कार कारी स्वीकार-डिमा जाता है किस्मत किण्वि अणु
ले लिखा जाय शारित डिमा गमन डिफो जारी हो
पत्रावली वंछत से जय हो

मिण्वि-मुगता गमन


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



G CMS
2024/374

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- भरत जयप्रकाश मीना आई.ए.एस.

प्रकरण नं. 187 / 2024 GUMS: 2024 / 374

दायरा दिनांक 18.06.2024

1. बाबू सिंह पुत्र श्री जोरा सिंह जाति मजहबी सिख निवसी चक 7 डी बी एन भादवावाली ढाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. पृथ्वीसिंह पुत्र जोरासिंह जाति मजहबी निवासी भादवावाली ढाणी, 39 एम ओ डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. अमरजीत कौर उर्फ बलजीत कौर पुत्री सन्दुरा सिंह पत्नी सुखराम जाति मजहबी निवासी 7 डी बी एन एल (25 जी डब्ल्यू) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज।
3. इन्द्रजीत कौर पुत्री सुखजीत कौर पुत्री सन्दुरा सिंह जाति मजहबी निवासी भादवावाली ढाणी, 7 डी बी एन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज।
4. चेतसिंह पुत्र सन्दुरा सिंह जाति मजहबी निवासी भादवावाली ढाणी, 7 डी बी एन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज।
5. रघुवीरसिंह पुत्र मखन सिंह पुत्र चिन्तकौर निवासी भादावावाली ढाणी 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. रेशमसिंह पुत्र सन्दुरासिंह जाति मजहबी निवासी 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
7. राजवीर पुत्र सुखजीत कौर पुत्री सन्दुरसिंह जाति मजहबी निवासी 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. राजसिंह पुत्र सुखजीत कौर पुत्री सन्दुरसिंह जाति मजहबी निवासी 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. सुखेदव सिंह पुत्र सन्दुरासिंह जाति मजहबी निवासी 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
10. हरदेव सिंह पुत्र सन्दुरसिंह जाति मजहबी निवासी 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-

1. श्री अमित कुमार सैनी एडवोकेट — वादी
2. पेशेकार राज नायब तहसीलदार — प्रतिवादी नं 11

—:: निर्णय ::—

दिनांक :- 14.01.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी ने यह वाद पत्र पेशकर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 9 डीबीएन के पटवार हल्का भादवावाली ढाणी के जमाबन्दी संवत 2072 ता 75 व जमाबन्दी वर्ष 2077 से स्थायी खाता संख्या 186/181 के पत्थर न0 65/280 (5) के किला न0 1/1 ता

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

15/2 में 3.795 हैक् मय खाला कमाण्ड भुमि में 1/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जैरवाद भुमि वादी एंव प्रतिवादीगण को विरास्तन प्राप्त है। पिता/दादा/नाना जोरासिंह ने अपने जीवनकाल मे ही उक्त भुमि को वादी एंव अन्य सहकाशतकारो के मध्य घरेलु बंटवारा करके किलानुसार भुमि का कब्जा सौप दिया था तब से लेकर आज वादी एंव प्रतिवादीगण अपने कब्जा काशत अनुसार ही काशत करते आ रहे है। वादी को चक 9 डीबीएन के खाता संख्या 186/181 मे 3.795 हैक् कमाण्ड मय खाला भुमि 1/5 हिस्सा की 0.759 हैक् व 0.506 हैक् भुमि जरिये दस्तबरदारी दिनांक 20.05.2022 को हकत्याग से प्राप्त हुआ है। प्रतिवादीया स0 2 अमरजीत कौर उर्फ बलजीत कौर का नाम जमाबन्दी मे अमरजीत कौर पुत्री सन्धुरा सिंह दर्ज है जो कि प्रतिवादीया का पीहर का नाम व घरेलु नाम है जबकि प्रतिवादीया स0 2 का नाम जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड व पहचान पत्र मे बलजीत कौर दर्ज है। प्रतिवादीया के नाम मे भिन्नता होने के कारण ही दस्तबरदारी दिनांक 20.5.2022 का इन्तकाल वादी समेत अन्य हक ग्रहिता के नाम से दर्ज नही हो पा रहा है। इस वादपत्र के माध्यम से वादी, प्रतिवादीया स0 2 के नाम की घोषणा चाह रहा है कि प्रतिवादीया स0 2 का नाम अमरजीत कौर उर्फ बलजीत कौर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे ताकि दस्बरदारी दिनांक 20.5.2022 का इन्तकाल दर्ज किया जा सके। खाता संयुक्त होने से रकबे को सुधारने, टयुबवैल लगाने, बैक से ऋण आदि लेने, रकम आबियाना जमा करवाने मे हर समय कठिनाईयां पैदा होती है। खाता विभाजन करवा लेने से रास्ता, पानी लगाने, रकम आबियाना जमा करवाने मे कठिनाईया ना आये। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण से खाता अलग करवाना चाहता है ताकि कठिनाईयां समाप्त हो सके। वादी को घरेलु बंटवारा अनुसार चक 9 डी. बी.एन. तहसील सूरतगढ के प0 न0 65/280 मु0 5 किला न0 11 ता 14 सालम, 15/1/0.2280 है0, 15/2 मे 0.0250 है0 खाला कुल 1.265 है0 भुमि कमाण्ड मय खाला का कब्जा काशत अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जावे। वादी चक 9 डीबीएन के पत्थर न0 65/280 (5) के किला न0 11 ता 14/1.012 हैक् कमाण्ड, 15/1 में 0.228 हैक् कमाण्ड, 15/2 में 0.025 हैक् खाला कुल 1.265 हैक् कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भुमि वादी अपने कब्जा काशत की भुमि को खाता विभाजन करवाने की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत एवं साधारण सम्मन तलब किया गया। दिनांक 29.01.2025 को प्रतिवादीगण 1 ता 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 18.03.2025 को वादी ने उपस्थित होकर ब्यान शपथ पत्र पेश प्रस्तुत किया।

बहस सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ के वाके चक 9 डीबीएन के खाता संख्या 186/181 के पत्थर न0 65/280 (5) के किला न0 1/1 ता 15/2 में 3.795 हैक् मय खाला कमाण्ड भुमि में 1/5 हिस्सा व जरिये दस्तबरदारी दिनांक 20.05.2022 से चक 9 डीबीएन के पत्थर न0 65/280 (5) के 3.795 हैक् रकबा में से 0.506 हैक् रकबा इस प्रकार कुल 1.265 हैक् कमाण्ड खातेदारी रकबा प्राप्त है। वादी मौका पर चक 9 डी बी एन के खाता स0 186/181 के प0 न0 65/280 मु0 5 के किला न0 11 ता 14 सालम, 15/1/0.2280 है0, 15/2 मे 0.0250 है0 खाला कुल 1.265 है0 कमाण्ड मय खाला भुमि पर काबिज है जिसे वादी द्वारा अपने शपथ पत्र व गवाहो के शपथ पत्र से पूर्ण साबित किया है। अतः वाद वादी कोई विपरित साक्ष्य प्राप्त नही होने पर स्वीकार करना हम उचित समझते है।





उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 02 का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे अमरजीत कौर उर्फ बलजीत कौर पुत्री सन्धुरा सिंह दर्ज करते हुये दस्तबरदारी दिनांक 20.05.2022 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 10 के नाम से सयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 9 डीबीएन के खाता संख्या 186/181 के पत्थर न0 65/280 (5) के किला न0 1/1 ता 15/2 में 3.795 हैक् मय खाला कमाण्ड भुमि में 1/5 हिस्सा वादी का एवं जरिये दस्तबरदारी दिनांक 20.05.2022 से प्राप्त 1/3 हिस्सा कुल 1.265 है0 कमाण्ड मय खाला का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक 9 डीबीएन के पत्थर न0 65/280 (5) के किला न0 11 ता 14 सालम, 15/1/0. 2280 है0, 15/2 मे 0.0250 है0 खाला कुल 1.265 है0 भुमि कमाण्ड मय खाला खातेदारी भुमि का वादी के पक्ष मे खाता विभाजन किया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ को राजस्व रिकार्ड मे उक्त घोषणा एवं खाता विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने हेतु आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़

(ओ021 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

-:: परचा डिक्री ::-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
(पीठासीन अधिकारी :-भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

-:: अनवान ::-

1. बाबू सिंह पुत्र श्री जोरा सिंह जाति मजहबी सिख निवसी चक 7 डी बी एन भादवावाली ढाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. पृथ्वीसिंह पुत्र जोरासिंह जाति मजहबी निवासी भादवावाली ढाणी, 39 एम ओ डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. अमरजीत कौर उर्फ बलजीत कौर पुत्री सन्दुरा सिंह पत्नी सुखराम जाति मजहबी निवासी 7 डी बी एन एल (25 जी डब्ल्यू) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. इन्द्रजीत कौर पुत्री सुखजीत कौर पुत्री सन्दुरा सिंह जाति मजहबी निवासी भादवावाली ढाणी, 7 डी बी एन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. चेतसिंह पुत्र सन्दुरा सिंह जाति मजहबी निवासी भादवावाली ढाणी, 7 डी बी एन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0।
5. रघुवीरसिंह पुत्र मखन सिंह पुत्र चिन्तकौर निवासी भादवावाली ढाणी 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. रेशमसिंह पुत्र सन्दुरासिंह जाति मजहबी निवासी 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
7. राजवीर पुत्र सुखजीत कौर पुत्री सन्दुरसिंह जाति मजहबी निवासी 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. राजसिंह पुत्र सुखजीत कौर पुत्री सन्दुरसिंह जाति मजहबी निवासी 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. सुखेदव सिंह पुत्र सन्दुरासिंह जाति मजहबी निवासी 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
- 10.हरदेव सिंह पुत्र सन्दुरसिंह जाति मजहबी निवासी 7 डीबीएन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
- 11.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा-53,88,207,209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 187 वर्ष 2024 (GCMS No. 2024/374) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री अमित सैनी तथा पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:-

वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 02 का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे अमरजीत कौर उर्फ बलजीत कौर पुत्री सन्धुरा सिंह दर्ज करते हुये दस्तबरदारी दिनांक 20.05.2022 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 10 के नाम से सयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 9 डीबीएन के खाता संख्या 186/181 के पत्थर न0 65/280 (5) के किला न0 1/1 ता 15/2 में 3.795 हैक् मय खाला कमाण्ड भुमि में 1/5 हिस्सा वादी का एवं जरिये दस्तबरदारी दिनांक 20.05.2022 से प्राप्त 1/3 हिस्सा कुल 1.265 है0 कमाण्ड मय खाला का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक 9 डीबीएन के पत्थर न0 65/280 (5) के किला न0 11 ता 14 सालम, 15/1/0.2280 है0, 15/2 मे 0.0250 है0 खाला कुल 1.265 है0 भुमि कमाण्ड मय खाला खातेदारी भुमि का वादी के पक्ष मे खाता विभाजन किया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ को राजस्व रिकार्ड मे उक्त घोषणा एवं खाता विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने हेतु आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

नोज.....x.....मुबलिंग..... x.....बाबत..... x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह..... x..... फस्टों की पालना..... x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14.01.2026 को जारी की गई।



(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)